न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2017

1. कन्हैयालाल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। --प्रार्थी--

बनाम

1. कृष्ण लाल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

--अप्रार्थी--

अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए

--निर्णय-- दिनांक : 07.01.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 36एच की जमाबंदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 6 के मु0 नं0 66 के किला नं0 5 सालम, मु0 नं0 82 के किला नं0 9,11,12,19,20,21 प्रत्येक सालम, मु0 नं0 85 के किला नं0 1 में 0.228 है0, किला नं0 2,3,4,5,6,7,8,9 प्रत्येक सालम किला नं0 10, 11 प्रत्येक 0.227 है0, कुल 2.706 है0, मु0 नं0 87 के किला नं0 6 में 0.228 है0 बारानी, किला नं0 7 ,14 सालम, किला नं0 15/2 में 0.101 है0, का पश्चिमी हिस्सा उत्तर से दक्षिण , किला नं0 17/1 में 0.227 है0 का पश्चिमी हिस्सा उत्तर से दक्षिण, किला नं0 21 में 0.126 है0, किला नं0 22 में 0.152 है0, किला नं0 23/1 में 0.152 है0, किला नं0 24/1 में 0.152 है0, किला नं0 25/1 में 0.127 है0 कुल 1.771 है0 व मु0 नं0 87/1 के किला नं0 0 में 0.201 है0, गैरमुमकिन खाला कुल 6.449 है0 नहरी/बारानी भूमि मय गैरमुमकिन खाला प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 कृष्णलाल के नाम चक 36एच के खाता सं0 20/5 में मु0 नं0 87 के किला नं0 4 सालम, किला नं0 5 में 0.227 है0, किला नं0 15/1 में 0.126 है0 , किला नं0 16/1 में 0.227 है0, किला नं0 17/1 में 0.226 है0 कुल 0.807 है0 व मु0 नं0 87 के किला नं0 0/1 में 0.050 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 0.860 है0 नहरी मय खाला भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में सगे भाई है। पारिवारिक बंटवारा नामा में अपनी अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चले आ रहे है। मु0 नं0 87 में प्रार्थी के पास किला नं0 06 में 0.228 है0 बारानी किला नं0 7 व 14 सालम, किला नं0 15/2 में 0.101 है0 पश्चिमी हिस्सा उत्तर से दक्षिण जो किला नं0 14 के साथ चिपता है व किला नं0 17/1 में 0.227 है0 पश्चिमी हिस्सा उत्तर से दक्षिण प्रार्थी के पास व शेष 2 बिस्वा, किला नं0 16 के साथ उतर से दक्षिण अप्रार्थी सं0 1 के कब्जाकाश्त में है व किला नं0 16 भी अप्रार्थी का है। किला नं0 21,22,23,24 प्रार्थी के कब्जाकाश्त में है। प्रार्थी के द्वारा मु0 नं0 87 के किला नं0 17 में फसल काश्त की गयी है। अप्रार्थी प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि वह मु0 नं0 87 के किला नं0 17 में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगा और आगे जाने के लिए रास्ता बंद कर देगा। व किला नं0 6,7,14,15 में घुसने नही देगा। इस बाबत 10 दिन पूर्व गांव में पंचायत भी की। पंचायत ने अप्रार्थी को कहा कि पारिवारिक बंटवारा अनुसार काश्त कर चले आ रहे हो। पारिवारिक बंटवारानामा में किला नं0 17 में उत्तर से दक्षिण का पश्चिमी हिस्सा प्रार्थी को प्राप्त हुआ है और मु0 नं0 87 के किला नं0 17 के दो बिस्वा भूमि आप काश्त कर रहे हो परन्तु अप्रार्थी ने पंचायत के समक्ष कहा कि मैं तो मु0 नं0 87 के किला नं0 17 में पूर्व से पश्चिम दो बिस्वा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करूंगा और प्रार्थी को मु0 नं0 87 के किला नं0 6,7,14,15 में घुसने नही दूंगा। अप्रार्थी द्वारा यदि प्रार्थी के मु0 नं0 87 के किला नं0 17 में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो प्रार्थी अपने किला नं0 6,7,14,15 में नही जा सकेगा। जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोक पाने का

उपखण्ड अधिकारी (रा.)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। और प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टतया मामला सुविधा का संतुलन एवं राइट एवं टाइटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 36एच की जमाबंदी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 मु0 नं0 87 के किला नं0 6 में 0.228 है0 बारानी, किला नं0 7, 14 सालम किला नं0 15/2 में 0.101 है0, का पश्चिमी हिस्सा उतर से दक्षिण, किला नं0 17/1 में 0.227 है0 का पश्चिमी हिस्सा उतर से दक्षिण, किला नं0 21 में 0.126 है0, किला नं0 22 में 0.152 है0, किला नं0 23/1 में 0.152 है0, किला नं0 24/1 में 0.152 है0, किला नं0 25/1 में 0.127 है0 कुल 1.771 है0 नहरी/बारानी मय गैरमुमकिन खाला में अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा में स्वयं दखलअंदाजी करने या अन्य किसी से दखलअंदाजी करने से निषेध रहे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सुभाष गोयल अधिवक्ता उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मद सं0 1 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। मद सं0 2 अस्वीकार है। यह गलत है कि मु0 नं0 87 के किला नं0 17/1 में 0.227 है0, पश्चिमी हिस्सा उतर से दक्षिण है जबकि सही यह है कि अप्रार्थी कृष्णलाल के हिस्से में मु0 नं0 87 के किला नं0 17/2 में दर्ज 0.026 है0 भूमि पश्चिमी हिस्सा पूर्व से पश्चिम है। चक 36एच के मु0 नं0 87 के किला नं0 17 में 0.227 है0 , किला नं0 23/1 में 0.152 है0, किला नं0 24/1 में 0.152 है0, किला नं0 25/1 में 0.127 है0, कुल 0.506 है0 नहरी व 7/1 के 0.101 है0 खाला कुल 0.759 है0 नहरी मय खाला भूमि पंजीकृत दानपत्र से दिनांक 30.02.2007 को प्रार्थी को दी गयी थी। दानपत्र को खारिज करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में अलग से कार्यवाही की जा रही है। जिससे बचने के लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। मद सं0 3 इस हद तक स्वीकार है कि वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। मद सं0 4 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सगे भाई है। शेष अस्वीकार है। मद सं0 5,6,7,8 अस्वीकार है। प्रथम दृष्टतया मामला सुविधा का संतुलन एवं राइट एवं टाइटल प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जोकि पत्र क्रमांक 1025 दिनांक 13.07.2017 से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मु0 नं0 87 के किला नं0 17 का दक्षिणी हिस्सा पूर्व पश्चिम में लम्बाई लिए हुए कुल 2 बिस्वा भूमि जिस पर ग्वार काश्त है। कन्हैयालाल के द्वारा अपना कब्जाकाश्त बतायी। मु0नं0 87 के किला नं0 17 का पूर्वी हिस्सा उतर दक्षिण लम्बाई कुल 2 बिस्वा कृष्णलाल का बताया। कृष्णलाल ने किला नं0 17 का दक्षिणी हिस्सा पूर्वी पश्चिमी लम्बाई के 2 बिस्वा पर ग्वार की काश्त अपनी कब्जाकाश्त बतायी। आसपडोस से पूछताछ में कुछ लोगो ने कन्हैयालाल की तस्दीक की तो कुछ लोगो ने कृष्णलाल की तस्दीक की। मौका मुआयना व पूछताछ में विवादित रकबा की कब्जाकाश्त स्पष्ट नही है। मौके पर कब्जाकाश्त संबंधी कोई स्पष्ट चिन्ह दृष्टिगोचर नही हो रहे है।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य चक 36 एच के मु0 नं0 87 के किला नं0 17 के 2 बिस्वा भूमि की कब्जाकाश्त की दिशा के संबंध में मुख्य विवाद है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त कब्जाकाश्त रिपोर्ट में दोनो पक्ष अपना अपना कब्जा काश्त बता रहे है। दोनो पक्ष अपने नाम दर्ज भूमि अनुसार काबिज है। मौके पर कब्जा कास्त संबंधी कोई स्पष्ट चिन्ह दृष्टिगोचर नही हुए। प्रकरण मे दोनो पक्षो में मारपीट हो चुकी है। मौका पर कौन पक्षकार किसी हिस्सा पर काबिज है यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या 14/2017 अनवान कन्हैया लाल बनाम कृष्ण लाल
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी चक 36 एच नग्गी की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 6 के मु0 नं0 87 के किला नं0 17 की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखे। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 07-06-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{श्रीमति रीना छिम्पा आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner